मशीनीकरण और कस्टम हायरिंग

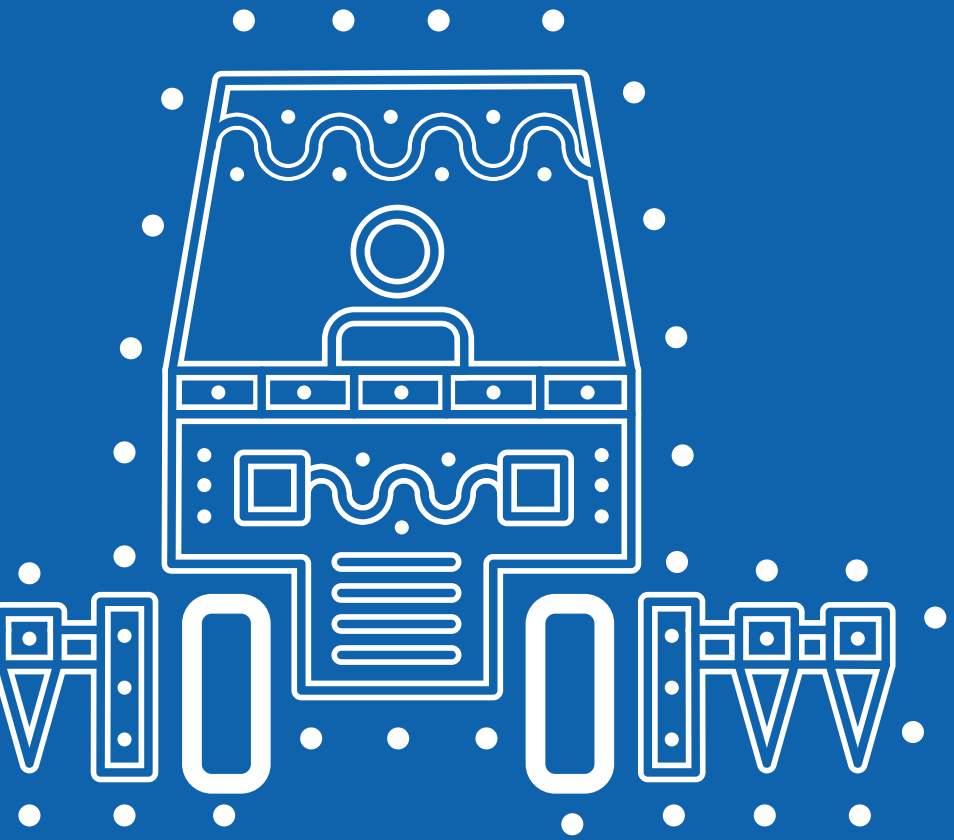

वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान की उन्नति से ही हमारे पूरे प्रदेश की प्रगति संभव है। हमने किसान भाइयों के लिए राज्य में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी उनका फायदा उठायें व परम्परागत खेती के साथ ही खेती के नये तरीकों व तकनीकों को अपनाएं।

हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति अब तक हो चुकी हैं, अब हमारा सपना राज्य में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) लाने का है। इसके लिए हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

प्रभुलाल सैनी
कृषि मंत्री, राजस्थान

राज्य के विकास में हमारा मेहनतकश किसान एक अहम कड़ी है। राजस्थान सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, उच्च तकनीक, संरक्षित खेती, अधिक मूल्य वाली फसलें उगाना आदि नवाचारों को अपनाएं और आगे बढ़ें।

कस्टम हायरिंग – एक परिचय

लघु एवं सीमान्त कृषकों तक कृषि मशीनरी का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईज़ेशन के अन्तर्गत एक अभिनव योजना 'कस्टम हायरिंग केन्द्र' शुरू की। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य के कृषक विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषक अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र/उपकरण किराये पर प्राप्त कर सकते हैं। इन केन्द्रों में विभिन्न कृषि संक्रियाओं जैसे खेत की जुताई, बीज की बुवाई, पौध संरक्षण एवं फसल कटाई से सम्बन्धित उन्नत कृषि यंत्रों को स्थानीय मांग के आधार पर रखा जा सकता है तथा केन्द्र के समीपवर्ती ग्रामों में कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। आदर्श स्थिति में एक कस्टम हायरिंग केन्द्र के द्वारा 10 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में उन्नत कृषि यंत्रों की सेवाएँ उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

योजना के मुख्य उद्देश्य

- कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
- अत्याधुनिक तथा मंहगे कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराना।
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना।
- उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना।

अनुदान

भारत सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईज़ेशन (SMAM) योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना के लिए लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। पच्चीस लाख से ज़्यादा लागत के कस्टम हायरिंग सेन्टर (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है। यह क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) योजना है जिसमें बैक एन्डेड सब्सिडी अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रकरणों को बैंकों द्वारा एम.एस.ई. (Micro and Small Enterprise) सेक्टर अंतर्गत स्वीकृत किया जायेगा।

योजना का क्रियान्वयन

राज्य के सभी ज़िलों में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु विभाग के ज़िला स्तरीय कार्यालयों द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं तथा प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग के द्वारा कम से कम 300 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति सीजन में कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिए। कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र के द्वारा कम से कम 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति सीजन में कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिए। योजनान्तर्गत क्रय किए गए ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 10 वर्ष तक कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) सेवायें कृषकों को प्रदान करनी आवश्यक होंगी। इस अवधि के पूर्व बैंक ऋण अदा हो जाने की स्थिति में भी कृषकों को कस्टम हायरिंग सेवायें इस अवधि तक दी जाना आवश्यक होंगी।

उपलब्ध यंत्र

फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग की एक इकाई हेतु निम्नानुसार यंत्र/उपकरण रखे जा सकते हैं:

- एक ट्रैक्टर
- एक सीड कम फर्टिलाईज़र ड्रिल
- एक डिस्क प्लो अथवा डिस्क हैरो
- एक कल्टीवेटर
- एक रोटोवेटर
- एक ट्रैक्टर चलित रीपर
- एक मल्टीक्रॉप पावर थ्रेशर

कस्टम हायरिंग केन्द्र पर स्थानीय मांग/आवश्यकता के अनुरूप ट्रैक्टर के साथ रखे जाने वाले कुछ उन्नत कृषि यंत्रों जैसे रिवर्सिवल प्लो, रोटोवेटर, डिस्क हैरो, सीड कम फर्टिलाईज़र ड्रिल, रीपर कम बाईण्डर, रेज्ड़ बेड प्लान्टर, लेज़र लेण्ड लेवलर इत्यादि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

रिवर्सिवल प्लो

इसे पल्टी प्लो भी कहते हैं। इसके द्वारा खेतों की गहरी जुताई (10 से 12 इंच गहरी) की जाती है। जुताई कार्य में साधारण एम.बी. प्लो की अपेक्षा लगभग 30 प्रतिशत डीजल एवं समय की बचत होती है। एक बार गहरी जुताई से उत्पादन में लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है।
अनुमानित लागत: रु.55,000

रोटोवेटर

4 से 5 इंच तक की जुताई। एक ही बार में खेत तैयार। समय में 50 प्रतिशत तक की बचत। परम्परागत विधि की तुलना में प्रति हैक्टेयर रु.1000 से रु.1800 तक की बचत। उत्पादन में 10–15 प्रतिशत की वृद्धि। बायोमास भूमि में मिलने से उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी।

अनुमानित लागतः रु.1,00,000

डिस्क हैरो

यह ज़मीन की तैयारी का यंत्र है। जमीन की प्रारम्भिक तैयारी प्लो से करने के उपरान्त सीड बेड (मिट्टी भुरभुरी करने तथा एक समान सतह करने) कर तैयारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः खेत की तैयारी के लिए ट्रैक्टर पर लगाकर इसे आड़े–तिरछे अलग–अलग दिशाओं में ट्रैक्टर घुमाते हुये चलाया जाता है जिससे खेत में मिट्टी के सभी ढ़ेले टूटकर एक जैसी सतह बन जाती है।

अनुमानित लागतः रु.30,000

ज़ीरो टिल सीड ड्रिल

इससे खेत की तैयारी किये बिना बुवाई संभव है। धान की कटाई के तत्काल बाद उपलब्ध नमी का उपयोग करते हुये गेहूँ की बुवाई संभव है। खेत की तैयारी में लगने वाले समय एवं लागत की पूरी बचत से प्रति हैक्टेयर रु.1000 से रु.1500 तक का लाभ होता है।

अनुमानित लागतः रु.45,000

रिज-फरो सीड कम फर्टिलाईज़र ड्रिल

सोयाबीन एवं अन्य खरीफ फसलों (धान को छोड़कर) की बुवाई के लिए उपयुक्त है। कम पानी में सिंचाई तथा अधिक वर्षा होने पर निकासी संभव है। इससे खेत में अधिक समय तक नमी रहती है। उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है।

अनुमानित लागतः रु.40,000

ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइन्डर

स्वयं के इंजन से चलता है। फसल की कटाई एवं बंडल बनाने का कार्य एक साथ संभव है। गेहूँ एवं धान की फसल हेतु उपयुक्त है। एक घण्टे में एक एकड़ की कटाई करता है। फसल कटाई की लागत 50 प्रतिशत की बचत होती है।

अनुमानित लागतः रु.3,15,000

रेज़्ड बेड प्लान्टर

इसके द्वारा खेत मे चौड़ी मेढ़ एवं नाली बना कर मेढ़ पर 2 से 3 कतारें बोई जाती है। कम पानी में सिंचाई तथा अधिक वर्षा होने पर निकासी संभव होती है। खेत में अधिक समय तक नमी का संरक्षण होता है। बीज दर में कमी एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रति हैक्टेयर लगभग रु.1100 तक का लाभ होता है। यह सोयाबीन एवं गेहूँ की बुवाई के लिये उपयुक्त है।

अनुमानित लागतः रु.70,000

लेज़र लेण्ड लेवलर

लेज़र गाईडेड तकनीक से भूमि का समतलीकरण। भूमि में 0 से 5 प्रतिशत तक का ढ़ाल देना संभव है। समतल भूमि होने से वाटरलॉगिंग नहीं होती एवं फसल को एक समान पानी देना संभव होता है। उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

अनुमानित लागतः रु.3,50,000

ग्राम

9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

उन्नत किसान
ख़ुशहाल राजस्थान

कृषि निदेशालय, राजस्थान
पंत कृषि भवन, जनपथ, सी–स्कीम, जयपुर 302 005
T: +91 141 511 0464 | W: krishi.rajasthan.gov.in

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर **1800 180 1551**
पर बात करें या अपने पास के कृषि पर्यवेक्षक या अपने ज़िले के
उप निदेशक कृषि या सहायक निदेशक उद्यान विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करें

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर